न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी — मुनिदेव यादव (RAS)

प्रकरण सं० - 63/18 — दायर दिनांक 28.6.18

हरमुख पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी नगला उर्फ सलेमपुर कलां तहसील भुसावर ——————वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर (भरतपुर)
——— - प्रतिवादी

दावा डिक्लेरेशन व हुकम इम्तनाई
दवामी धारा 88, 89, 188 RTA 1955
अधिवक्ता - श्री राजू सैनी व मनोज पाण्डेय - वादी
पैरोकार सरकार - प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 19.3.21

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० न० 859 रकबा 0.7300 बाके ग्राम माईदपुर जिसमें वादी 1/6 भाग पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार है। जिसके 1/2 भाग को वादी एवं वादी के भाइयों ने मिलकर दिनांक 1976 को किशोरी, रेवती, श्योनारायण पिसरान कंचन जाति लुहार निवासी माईदपुर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया गया था तभी से वादी व उसके भाईयों के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज होते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादी का नाम हरमुख के स्थान पर हरप्रसाद सहवन गलती से दर्ज कर दिया गया था जो खिलाफ मौका व कानून है। जबकि कबाला बयनामा में भी अपना नाम हरमुख अंकित कराया है तथा अन्य दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान-पत्र आदि में हरमुख नाम दर्ज चला आ रहा है।

अतः वादी द्वारा निवेदन किया है कि बाके ग्राम माईदपुर के आराजी खसरा नम्बर 859 में नाम हरप्रसाद पुत्र सोहनलाल के स्थान पर हरमुख पुत्र सोहनलाल

दावा वादी प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड Ad. डाक द्वारा की गई नोटिस तामील मय ताईद में पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भुसावर मय पटवारी हल्का उपस्थित उन्होंने मौका पर्चा प्रस्तुत किया गया मुताबिक मौका पर्चा पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भुसावर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सलेमपुर कलां में हरप्रसाद पुत्र सोहनलाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है हरमुख पुत्र सोहनलाल जाति माली के नाम से पहचान बताई है साथ ही वादी की ओर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात जैसे नकल जमाबंदी 2074, नकल वयनामा, परिवार कार्ड, आधार कार्ड, पहचान-पत्र शपथ-पत्र हरमुख, प्यारसिंह, किरोड़ी का अवलोकन किया गया

हमने वकील वादी को सुना गया व पैरोकार सरकार को सुना गया वादी के वकील द्वारा दावे में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया गया एवं पैरोकार सरकार द्वारा मौका पर्चा में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि ख०ख०नं० 859 रकबा 0.7300 हेक्टर वाके ग्राम माईदपुर तहसील भुसावर में दर्ज वादी के नाम हरप्रसाद पुत्र सोहनलाल को कलमजन कर सही नाम हरमुख पुत्र सोहनलाल दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.3.21 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

मुनिदेव यादव
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– **मुनिदेव यादव**

प्रकरण सख्याः– 63 / 18 दायर दिनांकः– 26.06.18

1. हरमुख पुत्र श्री सोहनपाल जाति माली निवासी नगला ऊर्जा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

——वादी

बनाम

1:–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर

——प्रतिवादी

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 की धारा 88,89व 188
अधिवक्ताः–श्री राजू सैनी व मनोज पांडेय
परोकारः– सरकार –प्रतिवादी

:– डिक्री –: **दिनांकः– 19 / 03 / 2021**

वाद वादीगण हरमुख बनाम राजस्थान सरकार वाद पत्र बावत डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89व 188 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि बाके ग्राम माईदपुर तहसील भुसावर कि आराजीयात में बादी का नाम हरप्रसाद पुत्र सोहनपाल को कलमजन किया जाकर सही नाम हरमुख पुत्र सोहनपाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वंय वहन करेंगे।

यह आज दिनॉक 19.3.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)